न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, चास(बोकारो)।

सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46(1)(b) के अन्तर्गत

अभिलेख संख्या– 10/2017–18

–: आदेश :–

अनुसूची 14–फारम संख्या–560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
22/10/18	अभिलेख उपस्थापित। विक्रेता मनोहर महतो पिता स्व0 रामहरि महतो जाति–कुर्मी, ग्राम–भण्डरो, थाना–पिण्ड्राजोरा, जिला–बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा–भण्डरो, थाना नं0–111 के खाता सं0–165 प्लॉट नं0–2432, रकवा 0.08 एकड़ भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 158/भू0सु0, दिनांक 05.05.2017 द्वारा अंचल अधिकारी, चास से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है। जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 2023 दिनांक 06.10.2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् है :– 1. बिक्री की जाने वाली भूमि रैयती खाते की है जिसका सर्वे खतियान मौजी महतो दीगर के नाम से दर्ज है। 2. विक्रेता एवं क्रेता दोनों ग्राम भण्डरो, थाना पिण्ड्राजोरा जिला–बोकारो के मूल निवासी है। 3. विक्रेता एवं क्रेता दोनों जाति के कुर्मी महतो हैं जो अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते है। 4. प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् विक्रेता के पास 2.00 एकड़ भूमि शेष बचता है, एवं विक्रेता भूमिहीन नहीं होंगे। 5. बिक्री की जाने वाली भूमि विक्रेता को पैतृक खतियान द्वारा प्राप्त है, जिसपर विक्रेता का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। 6. बिक्री की जाने वाली भूमि की जमाबंदी पंजी II के थोका संख्या–217 में आवेदक के पितामह मौजी महतो के नाम से दर्ज है। लगान रसीद 2017–18 तक लगान निर्गत है। 7. बिक्री की जाने वाली भूमि का किस्म वाईद है। 8. अंचल अधिकारी, चास द्वारा मौजा–भण्डरो, थाना नं0–111 के खाता सं0–165 प्लॉट नं0–2432, रकवा 0.08 एकड़ भूमि बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।	

अनुसूची 14—फारम संख्या—560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	अंचल कार्यालय, चास द्वारा निर्गत विक्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं0— 173156, दिनांक 30.10.2015, तथा क्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं0—7134 दिनांक 12.05.2011 की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है। अतः अंचल अधिकारी, चास के उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(b) के तहत विक्रेता मनोहर महतो पिता स्व0 रामहरि महतो जाति—कुर्मी, ग्राम—भण्डरो, थाना—पिण्ड्राजोरा, जिला—बोकारो को मौजा—भण्डरो, थाना नं0—111 के खाता सं0—165 प्लॉट नं0—2432, रकवा 0.08 एकड़ भूमि को क्रेता परेश कुमार महतो, पिता मटरू महतो, जाति— कुर्मी, ग्राम—भण्डरो टोला मुचियापाडा, थाना—पिण्ड्राजोरा, जिला—बोकारो को बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। लेखापित एवं संशोधित भूमि सुधार उपसमाहर्ता चास। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास।	

Digitally signed by PRABHASH KUMAR DUTTA
Date: 2025.01.18 19:22:50 +05:30
Location: 192.168.1.42